न्यायालय– अवर न्यायाधीश, षष्ठम्, पटना सिटी

स्वत्व वाद सं0–369/2010

23-11-2023 अभिलेख आज उपस्थापित किया गया। वादिनी एवं प्रतिवादी सं0–1 एवं 4 की ओर से हाजिदी दी गई है। वादी की ओर से प्रतिवादी सं0–1 के उत्तरपत्र का जवाब दाखिल किया गया, जिसकी कॉपी प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता को दी गई। वादी एवं प्रतिवादी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए। वादी के विद्वान अधिवक्ता दिनांक–17.04.23 के दाखिल आवेदन अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 सिविल प्रकिया संहिता को संचालित करते हुए निवेदन करते हैं कि प्रतिवादी सं0–3 की मृत्यु हो चुकी है, जिसके संबंध प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक–20.02.2023 को न्यायालय में सूचना आवेदन दिया गया है कि मृतक प्रतिवादी सं0–3 अपने पीछे पुत्री बबली कुमार व दीप ज्योति एवं पुत्र निशांत कुमार को छोड़ गए हैं। प्रतिवादी सं0–3 की नाम वादपत्र से विलोपित कर उनके स्थान पर उपरोक्त वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित किया जाय।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता कोई विरोध प्रकट नहीं करते हैं। अभिलेख का अवलोकन एवं परिशीलन किया। अभिलेख अवलोकन एवं परिशीलन से ज्ञात होता है कि वादी के द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक–17.04.2023 अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उक्त आवेदन को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। साथ–ही कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि नियमानुसार प्रतिवादी सं0–3 के नाम को वादपत्र से विलोपित करते हुए उनके स्थान पर आवेदनपत्र में दिए गए वारिसनों के नाम प्रतिस्थापित करें। वाद दिनांक– वास्ते अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु।

लेखापित

अवर न्यायाधीश, षष्ठम्
पटना सिटी